प्रेस नोट
जनपद सीतापुर
गोवध करने वाले पेशेवर अपराधी पर रा.सु.का के अन्तर्गत कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह के द्वारा जनपद में घटित गम्भीर अपराधों में कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में थाना तालगाँव पुलिस द्वारा गोकशी की घटना कारित कर लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाले पेशेवर अभियुक्त रफी पुत्र साविर कुरैसी निवासी ग्राम मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) 1980 की कार्यवाही की गयी है।

थाना तालगाँव पुलिस द्वारा दिनांक 13.07.2020 को अभियुक्त रफी पुत्र साविर कुरैसी निवासी ग्राम मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर को गिरफ्तार किया गया था जिसके कब्जे से एक अदद तराजू, तीन बाट, दो मोटर साइकिले बरामद हुई थी। इस सम्बन्ध में थाना तालगाँव पर मु0अ0सं0 235/2020 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 7 सी.एल.ए. एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था। अभियुक्त के उक्त कृत्य से जनमानस में काफी आक्रोश एवं भय व्याप्त हो गया था, जिससे लोक व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। पर्याप्त पुलिस बल लगाकर स्थिति को सामान्य किया गया था तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समझाने बुझाने एवं संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी होने के बाद लोगो में विश्वास कायम हो सका। पंजीकृत अभियोग की विवेचना पूर्ण करते हुये दिनांक 21.07.2020 को अन्तर्गत धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधि0 व 7 सी.एल.ए. एक्ट में आरोप पत्र A-190/20 में माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त वर्तमान मे जिला कारागार सीतापुर मे बंद है। घटना में संलिप्त तीन अभियुक्तगण पर पूर्व में ही N.S.A. की कार्यवाही की जा चुकी है। अभियुक्त रफी उपरोक्त जमानत पर बाहर आने हेतु प्रयासरत था। **N.S.A. अधिरोपित किये जाने के फलस्वरूप अभियुक्त रफी उपरोक्त को अग्रिम एक वर्ष तक के लिए निरूद्ध किये जाने हेतु निरूद्धि आदेश जेल में तामील कराया गया।**

क्षेत्र की लोक व्यवस्था के अनुरक्षण हेतु व्यापक लोकहित मे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाये गये रोकथाम अपराध व अपराधियों पर लगाए जाने अंकुश के तहत अभियुक्त रफी पुत्र साविर कुरैसी निवासी ग्राम मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (N.S.A.) की कार्यवाही की गयी है। कार्यवाही से जनमानस मे पुलिस के प्रति विश्वास एवं अपराधियों के मध्य कड़ा संदेश प्रेषित हुआ है।

<u>अभियुक्त का नाम पता-</u>

रफी पुत्र साविर कुरैसी निवासी ग्राम मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर

आपराधिक इतिहास

- **रफी पुत्र साविर कुरैसी निवासी ग्राम मियागंज थाना बिसवां जनपद सीतापुर**

1. मु0अ0सं0 288/08 धारा 3/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रूरता निवा0 अधि0 थाना बिसवां, सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 1355/09 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवां,सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 49/10 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिसवां,सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 357/10 धारा 8/18/21 एनडीपीएस थाना बिसवां,सीतापुर।
5. मु0अ0सं0 235/2020 धारा 3/5/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 7 C.L.A ACT थाना तालगांव, सीतापुर।
6. मु0अ0सं0 250/20 धारा 2 (ख)17/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना तालगांव,सीतापुर।